न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 34/2014 (223 आर. टी. एक्ट)
आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2014/00085

उनवान

1. लाखन सिंह उम्र 40 वर्ष पुत्र नत्थीलाल जाति जाटव निवासी नयावास बसेडी तहसील बसेडी जिला धौलपुर।
2. रूपी पुत्री बीधा पत्नी नत्थीलाल जाति जाटव निवासी नयावास बसेडी तहसील बसेडी जिला धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. नत्थीलाल पुत्र मुकुन्दी जाति जाटव निवासी नयावास बसेडी तहसील बसेडी जिला धौलपुर।
2. फूल सिंह पुत्र रतीराम जाति जाटव निवासी बागथर तहसील बसेडी जिला धौलपुर।
3. सुखराम पुत्र अतिराम जाति जाटव निवासी नयावास बसेडी तहसील बसेडी जिला धौलपुर।
4. ओमप्रकाश
5. नैमी
6. थान सिंह
7. शंकर

   पुत्रगण रामसिंह जाति जाटव निवासी नयावास बसेडी तहसील बसेडी जिला धौलपुर।
8. रामदयाल पुत्र पतोली जाति जाटव निवासी नयावास बसेडी तहसील बसेडी जिला धौलपुर।
9. जनवेद
10. ल्हौरे

    पुत्रगण बुद्धा जाति जाटव निवासी लेहसन का पुरा तहसील बाडी वर्तमान पता बसेडी तहसील बसेडी जिला धौलपुर।
11. राजस्थान सरकार तामील जरिये तहसीलदार साहब बसेडी।
12. प्रबन्धक धौलपुर सहकारी भूमि विकास बैंक

.....रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत 223 राज0काश्त0अधिनियम विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बसेडी दि0 02.05.2013 व डिक्री दिनांक 05.07.2013 प्र.सं. 47/11 उनवानी नत्थीलाल बनाम लाखन सिंह।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री सुरेश श्रीवास्तव उपस्थित।
2. रेस्पोडेण्ट अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक–12.09.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बसेडी के निर्णय दिनांक 02.05.2013 एवं डिक्री दिनांक 05.07.2013 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण/अपीलाण्ट ने एक दावा बाबत् बॅटवारा एवं हुक्म इम्तनाई दवामी विरूद्ध प्रतिवादीगण/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि

वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी में वादीगण/अपीलाण्ट एवं प्रतिवादीगण/रैस्पो0, संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार हैं। विवादित आराजी का अभी विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। दिनांक 02.07.2011 को वादीगण/अपीलाण्ट अपने हिस्से की आराजी पर फसल बोने गया तो प्रतिवादीगण/रैस्पो0 झगडा करने को उतारू हो गये और कहा कि विवादग्रस्त आराजी में अब हम तुम्हें काश्त नहीं करने देगें तथा तुम्हें विवादित आराजी से बेदखल कर देगें। यदि प्रतिवादीगण/रैस्पो0 अपनी उपरोक्त मंशा में कामयाब हो गये तो वादीगण/अपीलाण्ट को अपरमित क्षति होगी। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी का विभाजन बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड किये जाने तथा प्रतिवादीगण/रैस्पो0 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई दिनांक 24.11.2011 को प्राथमिक डिक्री करते हुये तहसीलदार बसेडी से विभाजन प्रस्ताव तलब किये। तहसीलदार बसेडी ने विवादित आराजी सम्पूर्ण के विभाजन प्रस्ताव ना भेजते हुये मात्र गॉव नगला दरवेशा के विभाजन प्रस्ताव भिजवाये गये एवं अधीनस्थ न्यायालय ने भी उक्त विभाजन प्रस्तावो के दृष्टिगत, प्रकरण दिनांक 02.03.2012 को अंतिम डिक्री कर दिया। वादीगण/अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायायल में, जरिये अभिभाषक एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि बसेडी ग्राम के विवादित खसरा नम्बरान के विभाजन प्रस्तवा मॅगवाये जाकर प्रकरण का पुनः निस्तारण किया जावें। इस पर अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार बसेडी से विभाजन प्रस्ताव तलव करते हुये, मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अपीलाधीन आदेश से अन्तिम डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादीगण/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। रैस्पो0 बाबजूद सूचना अनुपस्थित हैं। उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर, बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किए कि अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही में त्रुटि, पत्रावली से स्पष्ट दिखाई देती है। अधीनस्थ न्यायालय ने पहले एक गॉव के विभाजन प्रस्ताव आये बिना ही प्रकरण का अन्तिम निस्तारण कर दिया एवं उसमें भी एक नम्बर को छोड दिया। जिसकी पुनः शुद्धि की गयी। इसके पश्चात् अपीलाण्ट के प्रार्थना पत्र पर पुनः ग्राम बसेडी के विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये जाकर, मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अपीलाधीन आदेश से अन्तिम डिक्री कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम बसेडी के विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद अपीलाण्ट को बिना सुने निर्णय पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार बसेडी से विभाजन प्रस्ताव मॅगाये थे लेकिन तहसीलदार ने पटवारी हल्का से विभाजन प्रस्ताव तैयार कराये गये हैं। अतः विभाजन प्रस्तावों तैयार करते समय नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गयी है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि विभाजन प्रस्तावों में जो खसरा नम्बर अपीलाण्ट को दिये गये हैं वह उनकी बस्ती से काफी दूर हैं तथा उनके लिये प्रोपर रास्ता भी नहीं है। जबकि रैस्पो0 को जो नम्बर दिये हैं वह बस्ती से एकदम लगे हुये हैं व सभी खसरा नम्बरो पर आने–जाने के लिये रास्ता उपलब्ध है। इस प्रकार विभाजन प्रस्ताव जरिये माप व सीमाकंन ना होकर अच्छे–अच्छे नम्बर रैस्पो0 को दे दिये गये हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश आनन–फानन में पत्रावली का अवलोकन किये बिना पारित किया है, जो काबिल खारिजी है। अन्त में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अपीलाण्ट /वादीगण का प्रस्तुत अपील में मुख्य रूप से यह कथन रहा है कि कुर्रेजात प्रस्ताव दिनांक 28.03.2012 तहसीलदार द्वारा नहीं बनाये गये हैं एवं उक्त कुर्रे प्रस्तावो को तैयार करते समय राजस्थान काश्तकारी(राजस्व मण्डल) 1955 नियम 18 लगायत 21 की पालना नहीं की गई है। अतः कुर्रे

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रस्ताव विधिवत नही है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध कुर्रे प्रस्तावो के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर है कि कुर्रे प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार द्वारा नहीं बनाये जाकर पटवारी हल्का द्वारा बनाये गये हैं एवं तहसीलदार द्वारा उन्हें प्रतिहस्ताक्षरित किया गया है। जबकि नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार को ही बनाने थे। इसके अलावा उपविभाजित भूमि(बटा नम्बरों) को पृथक–पृथक रंगो में नहीं दर्शाया गया है। अतः प्रस्तुत प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 नियम 18 से 21 के प्रावधानों की पालना किया जाना स्पष्ट नहीं है। आर0आर0डी0 2017 पेज 679 में यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि विभाजन हेतु प्रस्तावो का, तहसीलदार स्वयं को मौका निरीक्षण व जोतों के विभाजन हेतु प्रपोजल तैयार करना आवश्यक है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, हम विवादित आराजी में पक्षकारो के हिस्से अनुसार अच्छी मे से अच्छी एवं बुरी में से बुरी भूमि का पक्षकारो के मध्य विभाजन करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित न्यायसंगत समझते हैं।

5. हम यह भी पाते हैं कि वाद, भू प्रबन्ध पूर्व के खसरा नम्बर से प्रस्तुत किया गया है, वाद के विचाराधीन रहते विवादित आराजी के खसरा नम्बर, नवीन भू प्रबन्ध अभिलेख प्रभावी होने से बदल गये हैं। अतः वाद संशोधन का भी मोहताज है।

6. अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बसेडी के निर्णय दिनांक 02.05.2013 एवं डिक्री दिनांक 05.07.2013 निरस्त किये जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार स्वयं, सभी पक्षकारो को सूचित कर विभाजन के नियमों अनुसार पुनः कुर्रेजात रिर्पोट प्रस्तुत करे एवं अधीनस्थ न्यायालय प्राप्त कुर्रेजात पर उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, विवादित आराजी में, अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी, का पक्षकारो के मध्य विभाजन कर, पुनः विधि अनुसार निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान् को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 30.10.2018 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें।

7. पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

8. निर्णय आज दिनांक 12.09.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official